



# राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश का तकनीकी विश्वविद्यालय)

RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA,

Block A/4, Gautam Nagar, Bhopal 462023

(University of Technology of Madhya Pradesh)

Web site-rgpvdiploa.in Email - rgpvpoly@rediffmail.com Fax - 0755-2583656, 2600164

क्रमांक/रागाप्रौवि/पीए/2013/ 1673  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23-9-2013

प्राचार्य,  
समस्त पोलीटेकनिक महाविद्यालय  
(महिला एवं निजी पोली./  
फार्मसी संस्थाओं सहित)  
मध्यप्रदेश

विषय - रेगिंग जैसी कुप्रथा रोकने विषयक ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जैसा कि विदित है, मध्यप्रदेश के समस्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों एवं फार्मसी महाविद्यालयों के प्राचार्य एआईसीटीई के मापदण्डों/नियमावली के अनुसार रेगिंग जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए सम्पूर्ण प्रयास कर रहे होंगे एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट/एआईसीटीई गाइड लाईन के अनुसार अपने यहां विभिन्न समितियों का गठन आपके द्वारा किया गया होगा एवं विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से निर्धारित प्रपत्र में शपथपत्र भी प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्यवाही भी पूर्ण कर ली होगी । माननीय उच्च न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में एआईसीटीई की गाइड लाईन आरजीपीव्ही डिप्लोमा प्रभाग की वेबसाइट [www.rgpvdiploa.in](http://www.rgpvdiploa.in) के अंतर्गत Student life में upload किए गए हैं । अतः आपसे अनुरोध है कि, उक्त गाइड लाईन के अनुसार अपने महाविद्यालय में कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

आपके द्वारा विभिन्न समितियों जैसे - एन्टी रेगिंग समिति, एन्टी रेगिंग स्क्वेड इत्यादि के आदेश की प्रतिलिपियां इस कार्यालय को रिकार्ड हेतु उपलब्ध करावें ।

अतः समस्त प्राचार्यों से अनुरोध है कि अपने महाविद्यालयों में ऐसी व्यवस्था बनाएं, जिससे रेगिंग जैसी कुप्रथा पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके । यदि एआईसीटीई हेल्पलाइन पर छात्रों द्वारा कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर प्रभावी कार्यवाही करना भी सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

  
23/9/13  
(आर.एन.तिवारी)

सचिव,

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

भोपाल